ऋण की बढ़ोत्तरी के लिए गारंटी संबंधी नीति

यह सुविधा विद्युत परियोजना एसपीवी/ नियंत्रक कंपनी द्वारा घरेलू बाजार में जारी किए डेंवेंचर के ऋण की बढ़ोत्तरी के लिए दी जाती है। यह सुविधा प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर विद्युत परियोजनाओं की वित्तपोषण के लिए बांड बाजारों क माध्यम से बीमा और पेंशन निधि जैसी दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों से विद्युत परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था (जिनमें कार्यचालन पूंजी और अल्पकालिक ऋण के लिए दी जाने वाली निधि शामिल नहीं है) में सहायता देने के लिए है।

प्रस्तावित सुविधा ऋण की बढ़ोत्तरी की व्यवस्था करके, ए ए क्रमांक बाली विद्युत परियोजना कंपनियों द्वारा जारी किए जा रहे डेबेंचरों के ऋण क्रमांकन को बढ़ाएगा, ताकि ऐसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों द्वारा ऐसे डेंबेंचरों में अभिदान किया जा सके और घरेलू निगम ऋण बाजार के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यही इच्छा भारत सरकार की हुई है। ऐसे बांडों के ऋण क्रमांकन को वर्ष-प्रतिवर्ष नवीकरण किया जाएगा / उसकी पुनः पुष्टि की जाएगी और इसकी सूचना पीएफसी को दी जाएगी, जिनके संबंध में पीएफसी ने पीसीजी जारी किया है।

डिबेंचरों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग बैंकों / वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण के आंशिक या पूर्ण विद्यमान परियोजना ऋण (अर्थात मूलधन, ब्याज और प्रीमियम की अदायगी, के पुनः वित्तपोषण के लिए किया जाएगा और बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग पीएफसी ऋण के पुनः पोषण के लिए भी किया जाएगा, जो पीएफसी की पूर्व अदायगी की नीति के अनुसार होगा। डिबेंचरों की बिक्री से प्राप्त आय के अंतिम उपयोग को डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा मानीटर किया जाएगा।

एंटिटी के लिए पात्रता मापदंड	परियोजना के लिए पात्रता मापदंड	अन्य मापदंड
• विद्युत उत्पादन के कारोबार में लगे प्राइवेट क्षेत्र के उधारकर्ता • वह आरओसी के पास भारत में पंजीकृत नियंत्रक कंपनी / एसपीवी हो सकता है। • उसका विद्यमान न्यूनतम क्रमांक 'बीबीबी' धन / ऋण होना चाहिए, जो कम से कम दो क्रेडिट क्रमांकन एजेंसियों द्वारा किया गया हो और उसके डिबेंचर एनएसई / बीएसई के पास सूचीबद्ध होने चाहिए और निजी तौर पर रखे गए होने चाहिए। • उधारकर्ता पीएफसी / बैंक / वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए और उधारकर्ताओं का समूह वाली कंपनियां पीएफसी की चूककर्ता नहीं होनी चाहिए ।	• डिबेंचरों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग ऐसी परियोजनाओं के परि योजना ऋणों के पुनः वित्पोषण के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें कम से कम तीन माह का सीओडी के बाद का अनुभव हो। • ऐसी परियोजनाएं, जिनका अधिकतम डी / ई अनुपात **75:25** हो। • जिनके पास ईंधन आपूर्ति करार, विद्युत खरीद करार या अन्य स्वीकार्य विद्युत बिक्री व्यवस्था हो। • उनके पास ऐसे विद्युत बिक्री / प्राप्य बिल नहीं होने चाहिए, जो इसकी नियत तारीख के बाद **90** दिन से अधिक अवधि से देय और बाकी हो।	• पुनः वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना ऋणों का विवरण पीसीजी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। • डिबेंचरों के माध्यम से जुटाई जाने वाली प्रस्तावित रकम पुनः वित्तपोषित किए जाने वाले ऋण की रकम से अधिक नहीं होने चाहिए। • विद्यमान उधारकर्ता द्वारा पीएफसी के पक्ष में एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि वे ऋण की अपरिपक्व वापसी स्वीकार करेंगे और प्रक्रिया प्रभार अदा करेंगे।

मूल्य निरूपण पीएफसी की लागू क्रमांकन विधि के अनुसार किया जाएगा।

इस सुविधा के अधीन मिलने वाली सहायता डिबेंचरों के प्रस्तावित निर्गम आकार के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी अर्थात केवल मूलधन ही बांडों के मामले में आनुपातिक रूप से कम होगा और उसे पूर्णतः अभिदान और आबंटित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पीएफसी प्रथम हानि चूक गारंटी (एफएलडीजी) या समरूप गारंटी जारी कर सकता है।

पीसीजी की अवधि को उस अवधि से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए डिबेंचर जारी किए गए हों। पीसीजी देने से संबंधित अधिकतम अवधि को ऋण वापसी अवधि से जोड़ा जाना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर आशोधित पीएफसी के प्रचालन संबंधी नीति विवरण (ओपीएस) में बताया गया है।

परियोजना (परयोजनाओं) की परिसंपत्ति पर दूसरे प्रभार उस समय प्रतिभूति के रूप में लिया जाएगा, जब यह सुविधा दी जा रही हो। एसपीवी के मामले में परियोजना की परिसंपत्तियां और नियंत्रक कंपनी के मामले में सहायक कंपनियों की परियोजना परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाएगा। इसके अलावा पीएफसी द्वारा दी गई पीसीजी के मामले में प्रमोटरों की प्रतिशत इक्विटी प्रति गारंटी के साथ-साथ पीएफसी के पक्ष में द्विपक्ष के रूप में पीएफसी के पास गिरवी रखी जाएगी।

प्रतिभूति का सृजन पीएफसी द्वारा पीसीजी दिए जाने के तीन माह के अंदर किया जाएगा और यदि निर्धारित अवधि के अंदर प्रतिभूति का सृजन नहीं किया जाता है तो अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।

गारंटी शुल्क और वित्तीय प्रभार समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार लागू होंगे। यदि जारी किए गए डिबेंचरों को किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम आंका गया हो तो पीएफसी अतिरिक्त गारंटी शुल्क प्रभारित करेगा।